


5.5.2016

पञ्जाबी राजस्व लोक अदालत प्रथम बार में न्याय के लिए
 न्याय अदालत द्वारा - 2016 - कार्यवाही नहीं चलाई
 केस अदालत अदालत हुई।
 वादीयत द्वारा उक्त में
 लोक अदालत की भावना से अदालत में
 उक्त में दाखिल नामा चाली
 हेतु प्रथम बार राजीनामा के
 अदालत किया। प्रथम बार राजीनामा
 शामिल पञ्जाबी किया गया।
 अदालत राजीनामा के अनुसार
 वादीयत उक्त संख्या 112/2009
 में जब इस उक्त में अदालत
 कोई कार्यवाही नहीं चाहती है
 उक्त को खिंचा से उठाना
 चाहती है। वादीयत एवं प्रतिवादी
 नं। को पश्चिम पट्टा। अ. अ. अ.
 निती इत्यादि के की।



Amunt
 20/10/16
 संस

युक्ति वादीयत विवाराधीन
 उक्त संख्या 112/2009 बाद में
 जब अदालत कोई कार्यवाही नहीं
 चाहती है एवं खिंचा से उक्त
 को उठाना चाहती है। अतः
 जब इस उक्त में कोई कार्यवाही
 अदालत नहीं रही है। उक्त में
 कार्यवाही प्रेष की जाती है।
 पञ्जाबी बाद वादीयत रजिस्टर के संख्या अदालत
 द्वारा नंबर दे काग है।

सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 पीलवाडा (राज.)